07
अध्याय

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

रोजगार, आय एवं प्रमुखत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपनी सतत् भूमिका के कारण कृषि एवं इसके संबद्ध क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5% हो गया है, जोकि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए यह अपेक्षित है कि उधार की सुविधा, बीमा कवरेज, सिंचाई सुविधाएं आदि जैसे क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान किया जाए। भारत में निम्न फार्म यांत्रिकी के मुद्दे को (जो लगभग 40 प्रतिशत है) भी हल करने की आवश्यकता है, जो कि चीन में लगभग 60% एवं ब्राजील में 75% है। तथ्य यह है कि पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र में लगभग 8% वार्षिक चक्र वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से वृद्धि हुई है, जिसके कारण इस क्षेत्र की आय, की रोजगार एवं पोषण संबंधी सुरक्षा में अहम भूमिका है। यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 2017-18 को समाप्त होने के पिछले 6 वर्षों में 5% से अधिक की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, फिर भी फार्म आउटपुट के लिए अतिरिक्त बाजार सृजित करने तथा फसल कटाई के बाद की क्षति को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से खाद्य सब्सिडी बिल वर्ष 2014-15 के 113171.2 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 171127.5 करोड़ हो गया हैं। भारत के खाद्य प्रबंधन को खाद्य सुरक्षा विशेषकर संवेदनशील वर्गों की चुनौतियों का सामना करते हुए खाद्य सब्सिडी को संगत बनाने पर बल देना चाहिए।

प्रस्तावना

7.1 भारत जैसे विकासशील देश का आर्थिक परिवर्तन मुख्यत: इसकी कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, रोजगार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। रोजगार अवसरों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अधिकतम 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिए मुख्यत: कृषि पर निर्भर रहती है इसमें 82% किसान लघु एवं सीमांत[1] हैं। विकास में समावेशता का उद्देश्य ग्रामीण विकास पर बल देते हुए प्राप्त करना होगा जहां कृषि इसे बेहतर रूप में कर सकती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करना है। आय सहायक स्कीम, फसल बीमा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों से लेकर कृषि विपणन सुधारों जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

1. एफएओए, भारत एक नजर में, http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/.

कृषि का सिहांवलोकन

कृषि के सकल संवर्धित मूल्य में हिस्सा

7.2 देश में मौजूदा कीमतों पर सकल संवर्धित मूल्य में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2% से गिर कर वर्ष 2019-20 (तालिका 1) में 16.5% हो गया है। देश के कुल जी वी ए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास प्राप्ति के कारण गिर रहा है। यह विकास प्रक्रिया की प्राकृतिक उपलब्धि है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप गैर-कृषि क्षेत्रें में होने वाली त्वरित वृद्धि को बढ़ावा देती है।

तालिका 1: प्रचलित कीमतों पर देश के कुल जी वी ए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा

मद	वर्ष					
	2014-15	2015-16*	2016-17#	2017-18@	2018-19**	2019-20$
कृषि और संबंध क्षेत्रों का जीवीए (करोड़ में)	2093612	2227533	2496358	2670147	2775852	3,047,187
कुल अर्थव्यवस्था के जीवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों के जीवीए का शेयर (प्रतिशत)	18.2	17.7	17.9	17.2	16.1	16.5
फसल का हिस्सा	11.2	10.6	10.6	10.0	-	-
पशुधन का हिस्सा	4.4	4.6	4.8	4.9	-	-
वानिकी और संलेशन का हिस्सा	1.5	1.5	1.4	1.2	-	-
मत्स्य-पालन का हिस्सा	1.0	1.1	1.1	1.1	-	-

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएमपीआई)

टिप्पणी: **वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम प्राक्कलनों तथा 31 मई 2019 को सी एस ओ द्वारा जारी 2018-19 के चौथी तिमाही (क्यू 4) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही प्राक्कलनों के प्रैस नोट के अनुसार 31 जनवरी 2019 को जारी वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय की प्रथम संशोधित प्राक्कलनों उपयोग, व्यय, बचत एवं पूंजी निर्माण

द्वितीय संशोधित प्राक्कलन

* तीसरा संशोधित प्राक्कलन।

$ प्रथम अग्रिम प्राक्कलन 2019-20

कृषि एवं सहायक क्षेत्रें में वृद्धि

7.3 कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की जी वी ए के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र से वर्ष (2011-12) स्थिर कीमतों पर, वर्ष 2019-20 के जी वी ए में वर्ष 2018-19 के 2.9% की तुलना में 2.8% वृद्धि का अनुमान है। (तालिका 2)

तालिका 2: कृषि क्षेत्र: स्थिर (2011-12) मूल्य (%में) पर वृद्धि के प्रमुख सूचक

वर्ष	कुल अर्थव्यवस्था के जीवीए में वृद्धि	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के जीवीए में वृद्धि
2013-14	6.1	5.6
2014-15	7.2	-0.2
2015-16*	8.0	0.6
2016-17#	7.9	6.3
2017-18@	6.9	5.0

2018-19**	6.6	2.9
2019-20$	4.9	2.8

स्रोत: सी ए ओ, एम ओ एस पी आई

टिप्पणी: 31 मई, 2019 को सी एस ओ द्वारा जारी वर्ष 2018-19 की वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम प्राक्कलों एवं वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही की जी डी पी के तिमाही प्राक्कलनों के प्रेस नोट के अनुसार

@ 31 जनवरी 2019 को जारी वर्ष 2017-18 के लिए, राष्ट्रीय आय, उपयोग व्यय, बचत एवं पूंजी निर्णय के प्रथम संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार * तीसरा संशोधित प्राक्कलन

$ प्रथम अग्रिम प्राक्कलन 2019-20

कृषि में सकल पूंजी निर्माण (जी सी एफ)

7.4 इस क्षेत्र में जीवीए के सापेक्ष कृषि एवं सहायक क्षेत्रें में जी सी एफ वर्ष 2012-13 के 16.5 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 के 15.2% के बीच उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती रही है। (तालिका 3)

तालिका 3: स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल संवर्धित मूल्य के सापेक्ष कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण

वर्ष	कृषि और संबंध क्षेत्रों का जीसीएफ (करोड़ में)	कृषि और संबंध क्षेत्रों का जीवीए (करोड़ में)	जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जीसीएफ (प्रतिशत में)
2012-13	2,51,094	15,24,288	16.5
2013-14	2,84,424	16,09,198	17.7
2014-15	2,72,663	16,05,715	17.0
2015-16*	2,37,648	16,16,146	14.7
2016-17#	2,67,836	17,17,467	15.6
2017-18@	2,73,755	18,03,039	15.2

स्रोत: सी एस ओ, एम ओ एस पी आई

टिप्पणी: 31 जनवरी 2019 को वर्ष 2017-18 के लिए जारी राष्ट्रीय क्रय, उपयोग व्यय, बचत एवं पूंजी निर्माण के प्रथम संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार।

#द्वितीय संशोधित प्राक्कलन *तीसरा संशोधित प्राक्कलन

न्यूनतम समर्थन मूल्य

7.5 अधिक निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 22 आवश्यक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य; (एम एस पी) तथा गन्ने के लिए उचित एवं मेहनताना मूल्य की घोषणा की है। केन्द्रीय बजट 2018-19 में एम एस पी को उत्पादन लागत से डेढ़ गुणा रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई है। तदनुसार सरकार ने 2018-19 सत्र के लिए संपूर्ण भारत में सभी आवश्यक खरीफ, रबी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए निर्धारित औसत लागत की डेढ़ गुणा आय के लिए एम एस पी को बढ़ाया है। सरकार ने इस सिद्धंत के अनुसार वर्ष 2019-20 में सत्र के लिए सभी आवश्यक खरीफ एवं रबी फसलों के लिए एम एस पी को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष आय/निवेश समर्थित स्कीम आरंभ की गई है। (बॉक्स 1)

बॉक्स 1: आय/निवेश समर्थित स्कीम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान)

पीएम-किसान भारत सरकार की 100 प्रतिशत निधियन वाली केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। यह स्कीम 01.12.2018 से प्रभावी है तथा इसमें सभी किसान (कुछेक अपवाद मापदण्ड के अनुसार) शामिल हैं स्कीम के अंतर्गत देश के सभी किसान

परिवारों की आय में प्रत्येक चार महीनों के अंतराल पर ₹ 2000 तीन बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष ₹ 6000 की सहायता दी गई है।

उड़ीसा की आजीविका एवं आय बढ़ाने के लिए कृषक सहायता (के ए एल आई ए)

यह स्कीम उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की रबी सत्र से राज्य में कृषि-संबंधी समृद्धता लाने एवं गरीबी के उन्मूलन के लिए आरंभ की गई है। विभिन्न घटकों के अधीन मिलने वाले लाभ हैं: लघु एवं सीमांत किसानों को पांच सत्रों तक प्रति कृषि परिवार की ₹ 25000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि किसान बीज, खाद्य, कीटनाशक, श्रम एवं अन्य निवेश जैसी आगतों की खरीद कर सके। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए लघु बकरी पालन इकाई, मिनी लेयर इकाई, बतख पालन इकाई, मछुवारों के लिए मत्स्य पालन किट, मशरूम खेती एवं मधुमक्खी पालन आदि जैसी कृषि सहायक गतिविधियों के लिए प्रत्येक भूमिहीन कृषि परिवार को ₹ 12,500/- की आर्थिक सहायता की जाएगी। असुरक्षित कल्टीवेटरों/भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹ 10000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस स्कीम में बहुत कम प्रीमियम पर किसानों के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी दी जाती है।

झारखण्ड की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों, जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, को प्रति किसान प्रतिवर्ष ₹ 5000/- की अनुदान सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी ऋणों की निर्भरता में कमी आएगी। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (प्रत्यक्ष बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दो किस्तों में दी जाएगीं यह पी एम किसान निधि योजना से अलग है जिसमें प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान परिवार, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत स्वामित्व है, को प्रतिवर्ष ₹ 6000/- दिए जाएंगे।

तेलंगाना का रायथु बंधु

तेलंगाना सरकार फसली सत्र से पूर्व प्रारंभिक निवेश के रूप में बीजों, खादों आदि जैसी विभिन्न आगतों की खरीद के लिए राज्य के सभी किसानों (पट्टेदारों) को प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ ₹ 4000/- की दर से निवेश सहायता देने के लिए नई अवधारणा लेकर आई है। योजना को खरीफ 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 12000/- करोड़ की वित्तीय परिव्यय आबंटित किया गया है। खरीफ 2018-19 के दौरान 51.50 लाख किसान 5,260.94 करोड़ ₹ राशि से लाभान्वित हुए हैं तथा इसका सवितरण चैक के द्वारा किया गया था। रबी 2018-19 के दौरान सरकार ने किसानों के खातों में राशि जमा कराने के लिए ई-कुबेर खजाने के माध्यम से राशि को अंतरित करने का निर्णय लिया है। 49.03 लाख किसानों के खातों में ₹ 5,244.26 करोड़ अंतरित कर दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान तेलंगाना सरकार ने निवेश सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को ₹ 4000/- से बढ़ाकर ₹ 5000/- प्रति एकड़ प्रति व्यक्ति कर दिया है।

कृषि का मशीनीकरण

7.6 मानव की कड़ी मजदूरी एवं खेती की लागत को कम करने के अतिरिक्त अन्य आगतों एवं प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करके उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आधुनिक कृषि में कृषि मशीनीकरण आवश्यक आगत बन कर आई है। जल एवं भूमि संसाधनों एवं श्रमिक ससाधन के कम होने से यह जिम्मेदारी उत्पादन के मशीनीकरण एवं कटाई के बाद के प्रचालनों पर आ गई है। कृषि विद्युत एवं कृषि की उपज के बीच रेखीय संबंध होता है तथा सरकार ने कृषि विद्युत को 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर (2016-17) से बढ़ाकर वर्ष 2030 के अंत तक 4.0 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है ताकि खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

7.7 भारतीय ट्रेक्टर उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का एक तिहाई है।

पिछले चार दशकों में ट्रेक्टर उद्योग में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है। (सी ए जी आर) विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के कारण भारत में खेती मशीनीकरण बाजार में वर्ष 2016-2018

चित्र 1: ट्रेक्टर एवं पॉवर टिल्लर्स की वर्षवार बिक्री ('000' में)

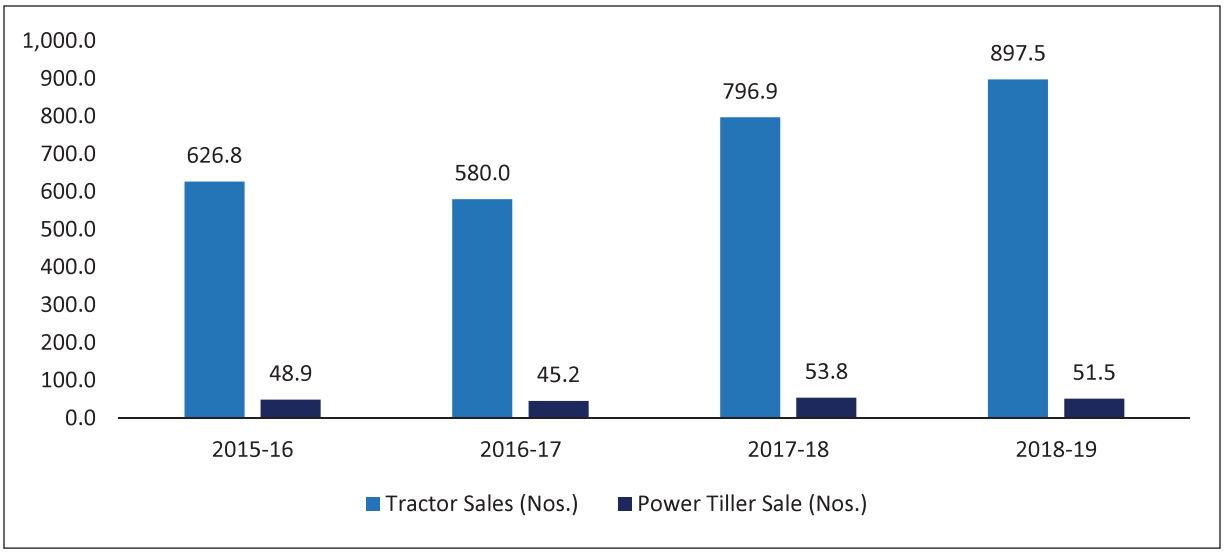

स्रोत: खेती, सहकारी एवं किसान कल्याण विभाग (डी ए सी एण्ड एफ डब्ल्यू)

के दौरान 7.53% की सी ए जी आर से वृद्धि दर्ज की गई है। (चित्र 1)

7.8 देश में खेती मशीनीकरण क्षेत्र की समावेशी प्रगति की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2014-15 में मशीनीकरण संबंधी सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकानाइजेसन प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि मशीनरी का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ''कस्टम हायरिंग सेंटर'' स्थापित करने के लिए एवं विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपस्कर के प्रापन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 3377.07 करोड़ की कुल राशि आबंटित की गई तथा 2018-19 के दौरान यह ₹ 1027.46 करोड़ थी। पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार ने लेजर लेवलर, हैप्पी सीडर प्रौद्योगिकी, कंबाइन हारवेस्टर एवं पावर वीडर जैसे छोटे उपकरणों जैसी नवीनतम कृषि मशीनरी को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक बल दिया है। ''पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों में (2018-2019) फसल के इन-सीटू मैनेजमेंट के लिए किसी भूमिकरण को उन्नत्ति'' पर नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ कृषिय मशीनों और उपकरण और कस्टम हाईरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत दी गई।

कृषि में फसल वार मशीनीकरण स्तर

7.9 कृषि मशीनी के प्रभावी प्रयोग से एक ही भूमि पर फसलों के त्वरित चक्र के लिए समयबद्ध कृषि प्रचालकों के साथ-साथ कृषि निर्गतों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलती है। एक ही भूमि के टुकड़े से दूसरी फसल या बहु-फसल उगाव कर, फसलों की गहनता में सुधार हुआ है तथा कृषि भूमि वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक व्यवहार्य हुई है। (नाबार्ड, 2018) हालांकि, भारत में समग्र खेती मशीनीकरण अमेरिका (95 प्रतिशत) ब्राजील (75 प्रतिशत) एवं चीन (57 प्रतिशत), की तुलना में निम्न (40-45 प्रतिशत) रहा है। भारत के ट्रैक्टर उत्पादन के महत्वपूर्ण हिस्से का भी निर्यात किया जाता है। औसत रूप में भारत हर वर्ष 79000 ट्रेक्टरों का निर्यात करता है; इसके मुख्य बाजार अफ्रीकी देश एवं एशियन देश

हैं; जिनकी समान मृदा एवं कृषि जलवायु स्थितियां हैं। मशीनीकरण के अंत: राष्ट्रीय स्तरों में विसंगतियां हैं जहां पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी भारत के मशीनीकरण का स्तर ज्यादा है। खेती मशीनीकरण पर वर्ष 2018 में नाबार्ड के अध्ययन में यह पाया गया है कि छोटी जोतों, विद्युत अभिगम उधार लागत एवं प्रक्रिया, अबीमित बाजार एवं निम्न जागरुकता के कारण प्रचालन की किफायत भारत में कृषि कम मशीनीकरण की निम्न दर के महत्वपूर्ण कारण हैं। भारत में वर्ष 2018-19 की प्रमुख फसलों का मशीनीकरण स्तरों को तालिका 4 में दर्शाया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई

7.10 सतत कृषि व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए परिशुद्ध या सूक्ष्म सिंचाई (टपका एवं छिड़काव सिंचाई) के माध्यम से कृषि स्तर पर जल प्रयोग दक्षता पर बल

तालिका 4: वर्ष 2018-19 में भारत की प्रमुख फसलों का मशीनीकरण स्तर

प्रमुख फसलें	फसलों का मशीनीकरण स्तर प्रतिशत में			
	सीड-बैड निर्माण	बुआई/रोपण/रोपाई	निराई गुड़ाई एवं पौधों की सुरक्षा	कटाई एवं गाहना (भूस्से को फसल से अलग करना/थेसिंग)
चावल	70	20	30	60
गेंहू	70	60	50	70
मक्का	60	40	30	30
ज्वार एवं बाजरा	50	30	15	10
दालें	50	40	20	25
तिलहन	50	40	20	25
कपास	50	30	25	0
गन्ना	55	10	20	10

स्रोत: कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डी ए आर ई)

देना अनिवार्य हो गया है। इस पर विचार करते हुए और जल आपूर्ति श्रृंखला अर्थात् जल स्रोत, विवरण नेटवर्क एवं कृषि स्तरीय अनुप्रयोग में अंतिम समाधान प्रदान करने के लिए ''हर खेत को पानी'' के ध्येय के साथ प्रधानमंत्री कृषि योजना (पीएमकेएसवाई) 01 जुलाई 2015 को आरंभ किया गया था। कृषि स्तर पर जल प्रयोग दक्षता पर बल देने के लिए देश में पी एम के एस वाई (पीएमकेएसवाई-पी डी एम सी) के प्रति बूंद अधिक फसल संघटक वर्ष 2015-16 से कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र के संबंध में सूक्ष्म सिंचाई संघटक का निष्पादन चित्र 2 में दर्शाया गया है।

7.11 सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें टपका एवं छिड़काव सिंचाई शामिल है, एक सिद्ध प्रौद्योगिकी है, जिसने किसानों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता अर्जित की है। इस प्रौद्योगिकी के घटकों में-जल, विद्युत, उर्वरक श्रम, फसल उत्पादकता में वृद्धि, उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता, जैसी आगतों का बेहतर नियोजन शामिल है। जिससे ऊंची बिक्री कीमत मिलती है परिणमस्वरूप किसान की आय बढ़ती है, इस प्रौद्योगिकी से सिंचाई की परंपरागत विधि की तुलना में जल की उसी मात्रा से अतिरिक्त

चित्र 2: केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अधीन शामिल क्षेत्र वर्ष-वार (हेक्टेयर में)

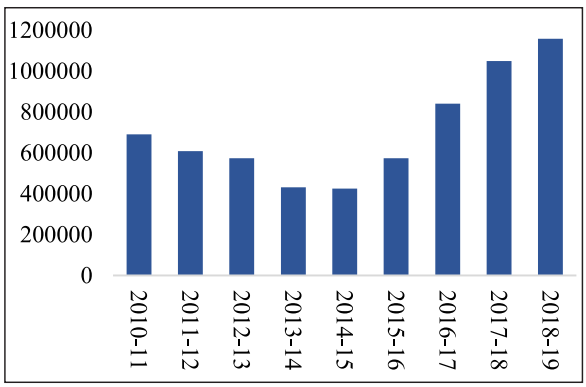

स्रोत: डी ए सी एवं एफ डब्ल्यू

क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा के कारण जल की कमी, कृषियोग्य अपशिष्ट भूमि एवं भूमि क्षेत्रों पर खेती की जा सकती है। चावल, गेहूं प्याज, आलू आदि जैसे गहन अंतर पर बोई जाने वाली फसलों में इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग की अच्छी संभवानाएं है।। संक्षेप में किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए हैं:

- सिंचाई जल की 20 से 48 प्रतिशत तक बचत
- ऊर्जा की 10 से 17 प्रतिशत तक बचत
- श्रम लागत में 30 से 40 प्रतिशत तक बचत
- उर्वरकों में 11 से 19 प्रतिशत तक की बचत
- फसल उत्पादन में 20 से 38 प्रतिशत की वृद्धि
- लाभार्थी किसानों की निवल वार्षिक आय में वृद्धि।

7.12 सूक्षम सिंचाई में सरकारी एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड ने जिससे ऊंची बिक्री कीमत मिलती है परिणमस्वरूप किसान की आय बढ़ती है, ₹ 5000/- करोड़ की प्रारंभिक आधारभूत निधि के अनुमोदन के साथ समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) सृजित की है। निधि का मुख्य उद्देश्य पीएम के-एसवाई-पीडीएमसी के अधीन कल्पित सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए संसाधनों को जुटाना तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष एवं नवीन पहलों के माध्यम से अतिरिक्त कवरेज करना भी शामिल है।

कृषि ऋण

7.13 वर्ष 2019-20 के लिए कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13,50,000 करोड़ ₹ निर्धारित किया गया है तथा 30 नवबंर 2019 तक 9,07,843.37 करोड़ ₹ का संवितरण हो चुका है। भारत में कृषि उधार का क्षेत्रीय वितरण अत्यन्त विषम है (चित्र 3)। यह देखा जाता है कि पूर्वोत्तर पहाड़ी एवं पूर्वी राज्यों में ऋण निम्न है। कुल कृषि ऋण संवितरण में पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है।

चित्र 3: वर्ष 2018-19 में कृषि ऋण का वितरण

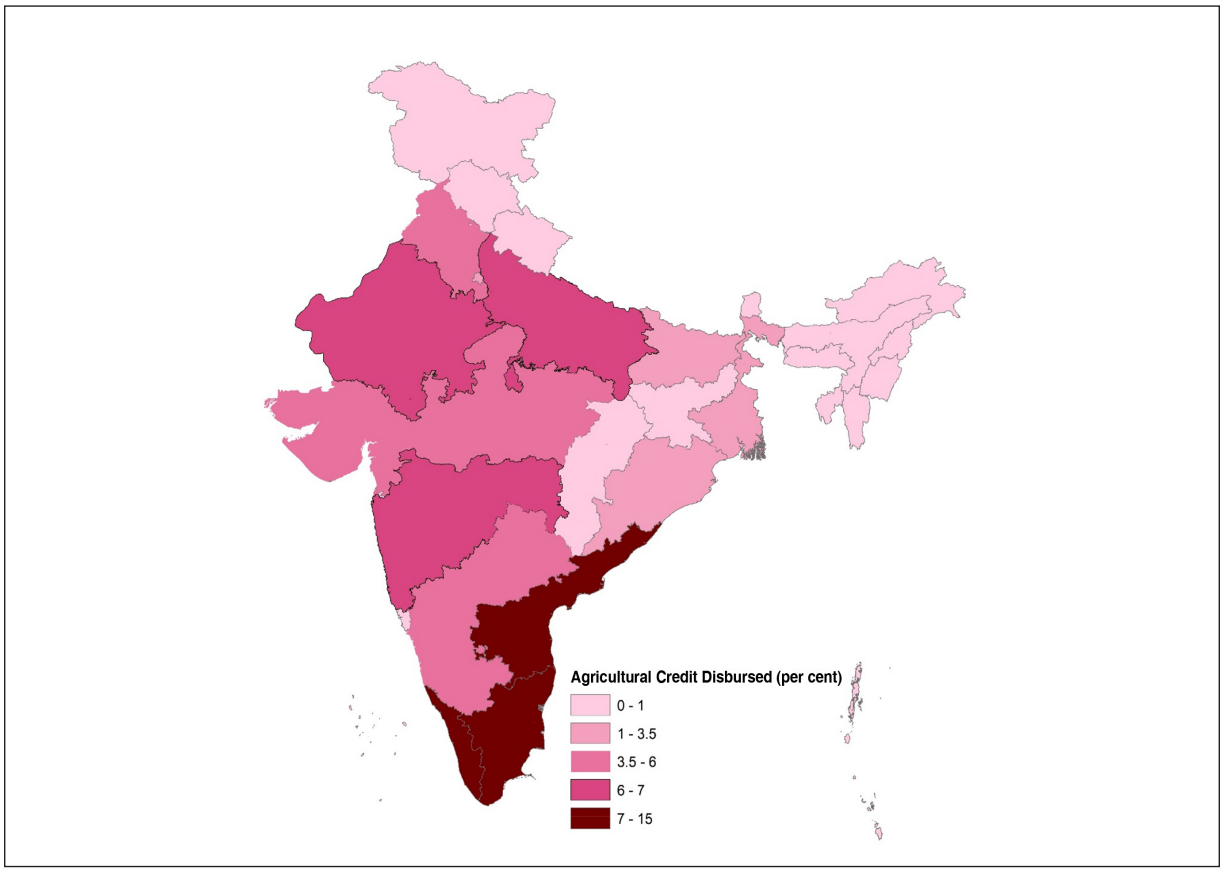

स्रोत: डीएसी एण्ड एफ डब्ल्यू से प्राप्त डाटा पर आधारित।

कृषि में जोखिम कम करना: फसल बीमा

7.14 देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीआई) खरीफ 2016 सत्र से क्रियान्वित हो चुकी है। यह प्राकृतिक गैर परिहार्य जोखिमों के विरूद्ध बुवाई पूर्व से लेकर कटाई के बाद जोखिमों के प्रति व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा प्रीमियम बीमांकिक/बोली आधार पर बीमा कंपनियों को अदा किया जाता है, इसमें किसानों द्वारा बहुत कम शेयर (खरीफ एवं रबी फसलों के बीमित राशि क्रमश: 2 प्रतिशत एवं 1.5 प्रतिशत) तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अदा किया जाता है, शेष प्रीमियम को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बराबर रूप में शेयर किया जाता है एवं सीधे भुगतान किया जाता है। यह उस बीमत राशि के संबंध में भी किसानों को बेहतर संरक्षण प्रदान करता है जो उन्होंने वित्त के पैमाने के समान रूप से अदा की है।

7.15 पीएमएफबीवाई में देश में सकल फसली क्षेत्र (जीसीए) के मौजूदा 23 प्रतिशत क्षेत्र से बढ़ाकर 50 प्रतिशत क्षेत्र करने की कल्पना की गई है। वर्ष 2016-17 के लिए जीसीए का लक्ष्य 30 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 के दौरान दो बड़े राज्यों नामत: महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में एवं वर्ष 2018-19 में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में ऋण माफी योजना की घोषणा के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। किसानों की सहायता करने के लिए वर्ष 2017 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीसी) प्रारंभ किया गया ताकि किसान दावों को सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त कर सके जिनका पंजीकरण अनिवार्य आधार संख्या के माध्यम से हुआ है। यह आधार कार्ड आधारित सत्यापन के माध्यम से वास्तविक किसानों को सहायता प्रदान करने एवं नकली डुप्लीकेट लाभार्थियों की छटनी करने के लिए सरकार का यह विचारशील कदम था। पीएमएफ बीआई के अधीन पूर्व फसली बीमा योजनाओं की तुलना में अधिक क्षेत्र को शामिल करके महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमापार्टल भी तैयार किया है जिसमें सभी स्टैकहोल्डरों के बीच इंटरफेस की व्यवस्था की गई है। (बॉक्स 2)

बॉक्स 2 राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल: (http://mpfby.gov.in) एक वेब आधारित एकीकृत आई टी प्लेट फार्म है जो पीएमएफबीवाई एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यू बीसीआईएस) के अधीन बीमित किसानों संबंधी डाटा को लेने/डालने के लिए सभी स्टैक होल्डरों के बीच इंटरफेस की व्यवस्था करता है। इस प्रयोजन के लिए, सभी स्टैक होल्डर अर्थात् नामांकन में प्रक्रिया में लगे राज्य, बैंक बीमा कंपनियां (आईपी), किसान (प्रत्यक्ष आन लाइन नामांकन) एवं सामान्य केन्द्र (सीएससी), को एनसीआईपी में इंटरफेस प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से नामांकन प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। इस तरीके से विभिन्न स्रोत के माध्यम से गैर-ऋण किसानों के लिए नामांकन का डाटा पूर्णरूप में एपसीआईपी पर उपलब्ध हो जाता है।

फसल बीमा पोर्टल में पोर्टल से ही प्रीमियम सब्सिडी के सरकारी शेयर की मांग सृजित करने की उम्मीद की गई है, जिसके आधार पर संबंधित आईसी निधि जारी की जाएगी तथा अगले कदम के रूप में पोर्टल यह सुविधा प्रदान करेगा कि सबंधित आईसी द्वारा ग्राहम दावों का निपटान पोर्टल के माध्यम सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा सके ताकि किसान के खाते में दावे के विलंब से बचा जा सके एवं उपयुक्त निरिक्षण हो सके।

7.16 वर्ष 2018-19 सत्र के दौरान, 517.70 लाख हैक्टयर भूमि की शामिल करने वाले 564.50 लाख किसानों के आवेदनों को लगभग 2,35,642 करोड़ ₹ के लिए बीमा किया गया है। अक्टूबर 2019 तक, पीएमएफबीआई के अधीन, 17,756 करोड़ ₹ के कुल दावों की अनुमोदन किया गया है तथा 16,763 करोड रु. की राशि की भुगतान कर दिया गया है। ऋण एवं गैर-ऋण की संख्या क्रमश: 354 लाख एवं 210.40 लाख थी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)। पीएमएफबीआई के अधीन पूर्व फसल बीमा योजना की तुलना में अधिक भूमि को शामिल करके महवपूर्ण प्रगति हुई है। यद्यपि राज्यों के लिए यह योजना स्वेच्छिक है, वर्ष 2017-18 में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना का कार्यान्वयन किया है। वर्ष 2018-19 में 23 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने योजना का क्रियान्वयन किया है।

7.17 पीएमएफबीआई के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, सरकार ने योजना के प्रचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों में व्यापक स्तर पर संशोधन किए हैं, जो 01.10.2018 से प्रभावी हो गई है और इसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

(i) दावों के भुगतान के लिए निर्धारित तारीख के बाद 10 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने पर दावों के निपटान के लिए होने वाले विलंब के लिए किसानों को बीमा कम्पनी द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज पर भुगतान किए जाने का उपबंध;

(ii) बीमा कंपनियों द्वारा मांगपत्र की निर्धारित तारीख/ प्रस्तुती के बाद तीन माह से अधिक अवधि के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर राज्य का हिस्सा जारी करने में विलम्ब के लिए राज्य सरकार को 12 प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान करना होगा;

(iii) फसल का नाम दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीख से दो दिन पहले तक बीमे के लिए फसल के नाम का परितर्वन करने के लिए संवर्धित समय जबकि पूर्व में एक माह की अवधि का प्रावधान किया गया था;

(iv) स्थानीय आपदाओं और फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान की सूचना की अपेक्षा 72 घंटों की अवधि निर्धारित की गई है; जो पहले 48 घंटे थी।

(v) स्थानीय आपदाओं, फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान, फसल के स्तर के बीच में प्रतिकूलता और उपचारित बुआई और अन्य विशेषताओं को शामिल करते हुए उपज के आंकड़ों से संबंधित विवादों के निपटारे के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी);

(vi) वार्षिक फसलों को शामिल करना और (पायलट आधार) जंगली पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाने पर इस नुकसान को भी शामिल करना।

कृषि व्यापार

7.18 कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थिति में है। किंतु विश्व कृषि व्यापार में उसका लगभग 2.15 प्रतिशत का योगदान है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, साऊदी अरब, इरान, नेपाल और बंग्लादेश आते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरूआत से, भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए है, जिसने निर्यात के लिए ₹ 2.7 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को प्राप्त कर लिया है तथा 2018-19 में ₹ 1.37 लाख करोड़ रुपये का आयात किया है। विगत तीन वर्षों के मुख्य कृषि-सम्बद्ध मदों का निर्यात तालिका 5 में दिया गया है।

तालिका 5: कृषि और कृषि सम्बद्ध मदों का निर्यात (मूल्य ₹ (000') करोड़ में एवं मात्रा लाख टन में)

वस्तुएं	2016.17		2017.18		2018.19	
	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
बासमति चावल	21.51	39.85	26.87	40.57	32.80	44.15
मसालें	19.11	10.14	20.08	10.96	23.22	10.92
चावल (बासमति के अतिरिक्त)	16.93	67.71	23.44	88.19	21.19	76.00
कच्चा कपास अपशिष्ट सहित	10.91	9.96	12.20	11.01	14.63	11.43
खली	5.41	26.32	7.04	35.71	10.58	44.86
चीनी	8.66	25.44	5.23	17.58	9.52	39.88
अरंडी का तेल	4.52	5.99	6.73	6.97	6.17	6.19
चाय	4.91	2.43	5.40	2.73	5.83	2.70
कॉफी	5.65	2.89	6.25	3.18	5.72	2.83
ताजा संब्जियां	5.79	34.04	5.30	24.48	5.67	29.33
कुल कृषि एवं संबद्ध निर्यात	227.6		251.56		274.57	

स्रोत: डी ए सी एवं एफ डब्ल्यू

7.19 देश में घरेलू किसानों के संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों से सरकार द्वारा अनेक व्यापार नीति कदम उठाए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) तूर पर शून्य से लेकर 10 प्रतिशत तक, मटर पर शून्य प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक, ग्राम (चने) पर शून्य से लेकर 60 प्रतिशत तक और मसूर की दाल पर शून्य प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक आयात शुल्क में वृद्धि की गई है।

(ii) तूर की दाल के आयात पर प्रति वर्ष 4 लाख टन और मटर, उड़द मूंग की दाल पर प्रति वर्ष 1.5 लाख टन का मात्रात्मक प्रतिबंध।

(iii) किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर मेहनताने के साथ-साथ विपणन में अधिक विकल्प सृनिश्चित करने के लिए 22.11.2017 से दलहनों की सभी किस्मों के निर्यात को अनुमत किया गया है।

(iv) देश में निर्मित खाने योग्य तेल और तेल के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 06.04.2018 से (सरसों के तेल के अलावा) खाद्य तेल के सभी प्रकार के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है

(v) काली मिर्च और सुपारी पर सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) अधिरोपित किया है। काली मिर्च और सुपारी के घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए वस्तुओं के सस्ते आयात से घरेलू उत्पादकों और आजीविका के संरक्षण के लिए 6 दिसम्बर, 2017 को काली मिर्च के आयात पर प्रति किलो 500/-रु. न्यूनतम आयात मूल्य और 17 जनवरी, 2017 को सुपारी पर प्रति किलो 251 रु. न्यनूतम आयात मूल्य निध र्रित किया गया है।

(vi) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अधीन भारत से निर्यात व्यापारिक निर्यात के अधीन उच्च पारगमन लागत को खत्म करने के लिए 1 नवम्बर, 2019 से विभिन्न कृषि मदों के निर्यात पर प्रतिफल की दरों (एमईआईएस) को बढ़ाया गया है।

(vii) कृषि निर्यात को दुगुना करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारतीय किसानों एवं कृषि उत्पादों के एकीकरण को लेकर सरकार ने हाल ही में व्यापक ''कृषि निर्यात नीति प्रारंभ की है।

(viii) कृषि व्यापार संबंधी मुद्दों की देख-रेख के लिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कृषि प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

7.20 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) कृषि बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, दिशा-निर्देशन एवं प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के लिए महत्वपूर्ण सरकारी समन्वय की व्यवस्था करता है।

उच्च उपज किस्म एवं ब्रीडर बीज

7.21 आईसीएआर का हाल मार्क नई फसली किस्में हैं जिसमें विशिष्ट अभिलक्षणों वाली नई किस्में हैं जिनमें लक्षित कृषि पारिस्थितिकीय के लिए फसल उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के मिलान के अतिरिक्त बायोटिक एवं अबायोटिक की सहनीशीलता/एवं प्रतिरोध के साथ उपज एवं पौषण गुणवत्ता में सुधार हो। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 220 क्षेत्रीय फसलों की नई किस्में/हाइब्रिड एवं 93 बागवानी फसलों को अधिसूचित/जारी किया गया है। ये संबर्धित गुणवत्ता एवं प्रमात्रा के साथ विभिन्न बायोटिक एवं अबायोटिक के प्रति अनुकूल है। परिषद ने फसलों की 18 बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की हैं जो लौह, जिंक, प्रोटीन एवं ग्लूकोआइसोलिनेट एवं कूनिट्ज ट्राइपसीन, इंहिबिटर (के टी आई) हैं से समर्थ हैं, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली के माध्यम से पौषण संबंधी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुक्त हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय फसलों की ब्रीडर सीड्स का कुल 117772 किवंटल उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्त वनस्पति विकसित क्षेत्रिय फसलों, फलों, सब्जियों और पौधारोपण फसल के लिए 239 लाख पौधारोपण सामग्री एवं 1.9 लाख उत्तक कल्चर प्लांट केंद्र भी स्थापित किए हैं। मार्कर सम्बद्ध चयन के द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान बायोटिक एवं अबायोटिक दबाव के प्रति सह-एवं उन्नत गुणवत्ता वाली 6 किस्मे विकसित की गई हैं।

पशुधन और मत्स्य-पालन में अनुसंधान और शिक्षा

7.22 आई सी ए आर समस्त उप क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए भी कार्य करता है क्योंकि ये समस्त किसानों के खेत (फार्म) से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2019 में 184 पंजीकृत स्वदेशी बीजों (Breeds) को सर्वप्रथम अधिसूचित किया गया था। यह पंजीकृत उन्नत किस्म की नई बीजों के बौद्धिक संपदा अधिकारों और जारी की गई नई किस्म की बीजों और स्वदेशी बीजों के संरक्षण के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। यह सार्वजनिक डोमेन में कानूनी टैग के साथ आनुवंशिक जानकारी प्रदान करने और बायो-पायरेसी और अन्य आईपीआर मुद्दों से इन संसाधनों की सुरक्षा में मदद करेगा। वर्ष 2018-19 के दौरान पशु एवं मछली उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पशुधन और मुर्गियों की 15 नई देशी नस्लों को पंजीकृत कर दिया गया था। देश में 535.78 मिलियन पशुधन हैं, जिसमें 192.49 मिलियन पशु, 109.85 मिलियन भैंस, 74.26 मिलियन भेड़ 148. 88 मिलियन बकरी, और 9.06 मिलियन सूअर; और 851.81 मिलियन मुर्गी सम्मिलित हैं (पशुधन की जनगणना, 2019)। जानवरों की यह विशाल और विविध आबादी मुख्य रूप से स्वदेशी है, जबकि एक बड़ी आबादी विदेशी जर्मप्लाज्म और देशी स्टॉक के बीच संकर नस्ल की है। विदेशी नस्लों से संबंधित बहुत कम जानवरों को व्यवस्थित फार्मों में रखा जाता है। देश को पशु रोग मुक्त बनाने के लिए जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) और ब्लूटॉन्ग (बीटी) बीमारी से बचाव के लिए डायग्नोस्टिक किट में और संक्रामक बरसल रोग आधारित सबवायरल पार्टिकल से संबंधित वैक्सीन विकसित की गई थीं।

प्रौद्योगिकियों को प्रयोगशाला से किसान के खेत में स्थानांतरित करना

7.23 देश के 716 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) को 3.37 लाख आम सेवा केन्द्रों से जोड़ (लिंक) दिया गया है ताकि किसानों के बीच कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की पहुंच बढ़ायी जा सके और मांग संचालित सेवाएं और सूचना उपलब्ध करायी जा सके। केवीके ने किसानों के खेतों में प्रयोगशालाओं को प्रौद्योगिकियों को लेने के लिए 42361 ऑन-फार्म ट्रायल एवं 2.71 लाख प्रायोगिक प्रदर्शन किए। इन आउटरीच कार्यक्रमों को खेत की फसलों से संबंधित 1.77 लाख क्विंटल गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, बागवानी फसलों से संबंधित 365.53 लाख रोपण सामग्री और 154.91 लाख पशुधन नस्लों और एक प्रकार के वृक्षों (फिंगर लिंग्स) के जरिए मजबूती प्रदान की गई है और किसानों को मामूली लागत पर उक्त बीज, रोपण सामग्री एवं पशुधन उपलब्ध कराया जाता था। लगभग 139.67 लाख किसानों ने विविध विस्तारित गतिविधियों में सहभागिता की और 1.21 लाख विस्तारित कार्मिकों और 15.91 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया था ताकि वो अनुकूल प्रद्यौगिकियों के पुनः प्रचार-प्रसार में पथ-प्रदर्शक के रूप में योगदान दे सकें। डिजिटल विकास के लाभों को गति प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। (बॉक्स 3).

बॉक्स 3: कृषि में डिजिटल प्लेटफॉर्म

भारतीय कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म-साइबर एग्रो-फिजिकल सिस्टम (CAPS) के माध्यम से खेती को व्यवहार्य, आत्मनिर्भर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाने के लिए आई सी ए आर ने अपने 113 अनुसंधान संस्थान और 716 के वी के तैयार किये हैं। सीएपीएस कंप्यूटर, उपग्रह इमेजरी, अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटिंग सुविधा के साथ सेंसर के उपयोग को एकीकृत करते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृषि कार्यों में अनिश्चितता और जोखिम को कम करने में मदद करेगा, जिससे महत्वपूर्ण कृषि कार्यों और जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए किसान परामर्श जारी किया जा सकेगा। भारतीय कृषि को डिजिटल इंडिया थीम के अनुरूप बनाने के लिए नए डिजिटल ऐप विकसित किए गए हैं। डीएआरई ने एकीकृत ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए कृषि शिक्षा पोर्टल एकता (एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम) लॉन्च किया, जिसमें आम की खेती, ई-कल्प, आयल पाम तथा अनार, प्याज और लहसन, काली मिर्च एवं मशरूम के लिए 9 मोबाइल ऐप्स (अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में) विकसित किए गए; इसी प्रकार किसान समुदाय के लिए एक 02 मोबाइल ऐप्स (किसान सुविधा और पूसा कृषि)। के वी के एम किसान पोर्टल के माध्यम से 612.95 लाख किसानों को विभिन्न फसलों और संबद्ध उद्यमों के बेहतर संचालन, मौसम आधारित सलाह और विभिन्न सरकारी योजनाओं पर आधारित सलाह और जानकारी के लिए एसएमएस सेवा प्रदान की है

कृषि-संबद्ध क्षेत्र: पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं मत्स्यपालन

7.24 कृषि के साथ का पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं मत्स्यपालन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। इन गतिविधियों ने खाद्य की टोकरी और पशु शक्ति का ढांचा तैयार करने में योगदान दिया है और लाखों लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के अलावा भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों और महिलाओं के बीच लाभकारी रोजगार पैदा करने के साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा है। पशुधन संबंधी आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है और किसानों की आय को दौगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र 7.9% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। सरकार ने पाँच वर्षों 2019-2024 से 13,343 करोड़ के वित्तीय परिवय के साथ खुर एवं मुख रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए एक नई केन्द्रीय योजना ''राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) लॉन्च की। यह योजना 2025 तक टीकाकरण के साथ एफएमडी पर पूर्ण नियंत्रण और 2030 तक सम्भावित रूप से समाप्त करने की परिकल्पना करती है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन और दुग्ध और पशु उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी।

7.25 भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। 2018-19 में देश में दूध का उत्पादन

चित्र 4: दूध उत्पादन (मिलियन टन में) और दूध उत्पादन में वृद्धि दर

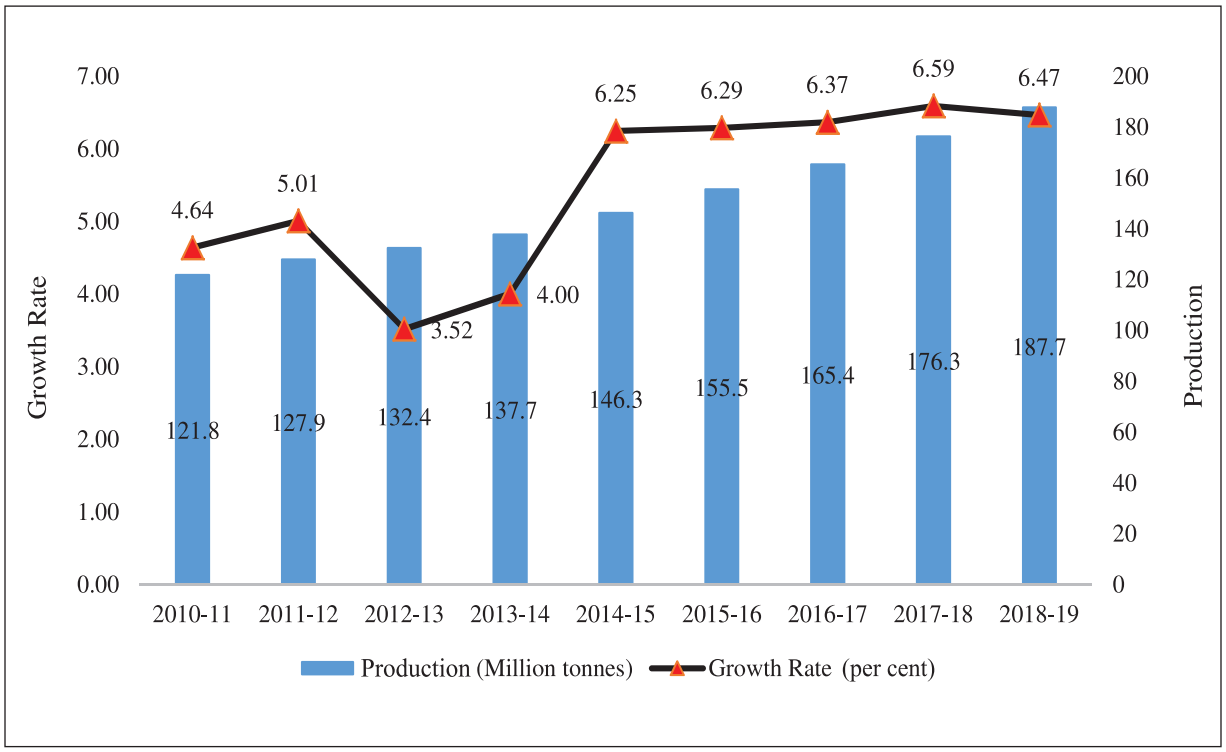

स्रोत: पशुपालन और डेयरी विभाग (डी एच एच डी)

187.7 मिलियन टन था और पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% की वृद्धि दर दर्ज की गई (आंकड़ा 4)। 2018-19 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 394 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। देश में अंडा उत्पादन जो 2017-18 में 95217 मिलियन था, 2018-19 में बढ़कर 103318 मिलियन हो गया। प्रमुख पशुधन उत्पादों को उत्पादन तालिका 6 में नीचे दिया है।

7.26 रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में एन एस एस ओ द्वारा किए गए 66 वें राउंड के सर्वेक्षण (जुलाई 2009-जून 2010) के अनुसार सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति एवं सहायक स्थिति को मिलाकर) के आधार पर 15.60 मिलियन कामगार पशुपालन, मिश्रित खेती

तालिका 6: प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन

वर्ष	दुध (मिलियन टन में)	प्रति व्यक्ति दुध की उपलब्धता	अंडा (संख्या मिलियन में)	प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता
2008-09	112.2	266	55562	48
2009-10	116.4	273	60267	51
2010-11	121.8	281	63024	53
2011-12	127.9	290	66450	55
2012-13	132.4	299	69731	58
2013-14	137.7	307	74752	61
2014-15	146.3	322	78484	63
2015-16	155.5	337	82929	66
2016-17	165.4	355	88137	69
2017-18	176.3	375	95217	74
2018-19	187.7	394	103318	79

स्रोत: पशुपालन और डेयरी विभाग

तथा मछली पकड़ने के कार्य में संलग्न थे। 68वें राउंड (जुलाई 2011-जून 2012) के अनुमान के अनुसार 16.44 मिलियन कामगार पशुपालन, मिश्रित कृषि, मछली पकड़ने और मत्स्यपालन के कार्य में संलग्न थे।

मत्स्यपालन क्षेत्र

7.27 भारत में मत्स्यपालन खाद्य, पौष्टिकता, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र आरंभिक स्तर पर लगभग 16 मिलीयन मछुआरों और मत्स्यपालकों तथा इसकी मूल्य श्रृंखला में इसके लगभग दोगुने लोगों को अजीविका प्रदान करता है। इस क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए फरवरी- 2019 में एक अलग विभाग ''मत्स्यपालन विभाग'' स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र के महत्व की पहचान करते हुए मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास पर सतत् एवं विशेष ध्यान देने हेतु जून, 2019 में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी का एक स्वतंत्र मंत्रालय सुरू किया गया है।

7.28 यह क्षेत्र कुल योजित सकल मूल्य में नियमित प्रगति दर्शा रहा है और कृषि, वानिकी एवं मछली पकड़ने से प्राप्त जी डी पी का 6.58 प्रतिशत बैठता है। हाल के वर्षों में भारत में मछली उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक देखी गई है। विश्व में भारत के अग्रणी समुद्री भोजन निर्यातक देशों में से एक बनने के साथ ही यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा आय में योगदान करने वाला एक प्रमुख कारक बन चुका है। वर्ष 2018-19 के दौरान समुद्री उत्पाद का निर्यात 13,92,559 मीट्रिक टन था और इसका मूल्य 46,589 करोड़ रूपए था। यू एस ए और दक्षिण पूर्व एशिया क्रमशः 34.81 प्रतिशत और 22.67 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत के समुद्री भोजन उत्पाद के प्रमुख निर्यात बाजार हैं। भारत में मत्स्यपालन के समृद्ध एवं विविधतापूर्ण संसाधान मौजूद हैं। समुद्री मत्स्यपालन संसाधन देश के वृहद् समुद्री तट तथा 2.02 मिलियन वर्ग किमी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) ओर 0.53 मिलियन वर्ग किमी के महाद्वीपीय रेती क्षेत्र में फैला हुआ है। अंतर्देशीय संसाधन नदियों और नहरों (1.95 लाख किमी), बाढ़ जनित झीलों (8.12 लाख हेक्टेयर), तालाब एवं टैंक (24.1 लाख हेक्टेयर), जलाशय (31.5 लाख हेक्टेयर), ब्रैकिंग वाटर (12.4 लाख हेक्टेयर), लवण/क्षार प्रभावित क्षेत्रों (12 लाख हेक्टेयर) आदि के रूप में मौजूद है।

7.29 वर्ष 2018-19 के दौरान देश में कुल मछली उत्पादन 13.42 मिलियन मीट्रिक टन (अनंतिम) था। इसमें समुद्री मछली उत्पादन का योगदान 3.71 मिलियन मीट्रिक टन और अंतर्देशीय मछली उत्पादन का योगदान 9.71 मिलियन मीट्रिक टन था। वर्ष 2018-19 के दौरान, समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षमता के 71 प्रतिशत और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन क्षमता के 58 प्रतिशत का दोहन किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए राज्य-वार मछली उत्पादन का ऑकड़ा तालिका 7 में दिया गया है।

तालिका 7: वर्ष 2017-18 में राज्य-वार अंतर्देशीय एवं समुद्री मछली उत्पादन ('000 टन में)

राज्य	अंतर्देशीय	समुद्री	कुल
आंध्र प्रदेश	2844.61	604.95	3449.56
अरूणाचल प्रदेश	4.25	0.00	4.25
असम	327.26	0.00	327.26
बिहार	587.85	0.00	587.85
छत्तीसगढ़	457.17	0.00	457.17
गोवा	5.54	118.47	124.01
गुजरात	133.79	700.74	834.53
हरियाणा	190.00	0.00	190.00
हिमाचल प्रदेश	12.77	0.00	12.77
जम्मू और कश्मीर	20.70	0.00	20.70
झारखंड	190.00	0.00	190.00
कर्नाटक	188.17	414.35	602.52
केरल	148.28	414.34	562.62
मध्य प्रदेश	143.42	0.00	143.42
महाराष्ट्र	131.02	474.99	606.01
मणिपुर	33.00	0.00	33.00
मेघालय	11.96	0.00	11.96
मिजोरम	7.64	0.00	7.64
नागालैंड	8.99	0.00	8.99
उड़ीसा	534.12	150.84	684.96
पंजाब	136.64	0.00	136.64
राजस्थान	54.04	0.00	54.04
सिक्किम	0.38	0.00	0.38
तमिलनाडु	185.05	496.89	681.94
तेलंगाना	270.04	0.00	270.04
त्रिपुरा	76.80	0.00	76.80
उत्तराखंड	4.58	0.00	4.58
उत्तर प्रदेश	628.75	0.00	628.75
पश्चिम बंगाल	1556.61	185.48	1742.09
भारत	**8902.42**	**3687.86**	**12590.28**

स्रोत: मत्स्यपालन विभाग

प्रमुख मछली उत्पादक राज्यों के संबंध में विगत पाँच वर्षों के दौरान कुल मछली उत्पादन की प्रवृत्ति चित्र 5 में देखा जा सकता है।

मत्स्य और एक्वाकल्चर की आधारभूत संरचना विकास निधि (एफएआईडीएफ)

7.30 मत्स्य पालन के बुनियादी ढ़ांचे के अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने रु. 7522.48 करोड़ की कुल निधि से वर्ष 2018-19 के दौरान ''मत्स्य और एक्वाकल्चर की आधारभूत संरचना विकास निधि'' (एफआईडीएफ) स्थापित की है। एफआईडीएफ द्वारा पहचान की गई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और राज्य इकाइयों सहित पात्र इकाइयों के लिए रियायती वित्त/ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। एफआईडीएफ के तहत यह रियायती वित्त नोडल ऋण प्रदाता इकाइयों (एनएलई) नामत: i) नाबार्ड, ii) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी और iii) सभी अनुसूचित बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। आज की तारीख तक इसी क्रम में विभिन्न राज्यों और अन्य पात्र इकाइयों से रु. 2751.33 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में से 1715.04 करोड़ रु. के प्रस्तावों की सिफारिश की गई और शेष प्रक्रियाधीन हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

7.31 उच्च स्तर के प्रसंस्करण के साथ भलीभांति विकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अपशिष्ट में कमी करता है, बेहतर मूल्य संवर्धन में सहायता करता है, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है, किसानों को उत्तम लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करता है, रोजगार को प्रोत्साहित करता है और साथ ही निर्यात से आय में बढ़ोत्तरी करता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि से कृषि-मूल्य चेन में प्रबल संबंध रखने वाले भागीदारों के लिए अवसर सृजित होने की संभावना है। 2017-18 में समाप्त होने वाले पिछले 6 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में लगभग 5.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में 2011-12 की तुलना में 2017-18 में निर्माण और कृषि क्षेत्रों में क्रमश: जीएवी का प्रतिशत 8.83 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत तक बना रहा।

7.32 वर्ष 2016-17 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

चित्र 5: प्रमुख उत्पादक राज्यों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल मछली उत्पादन (000 टन में)

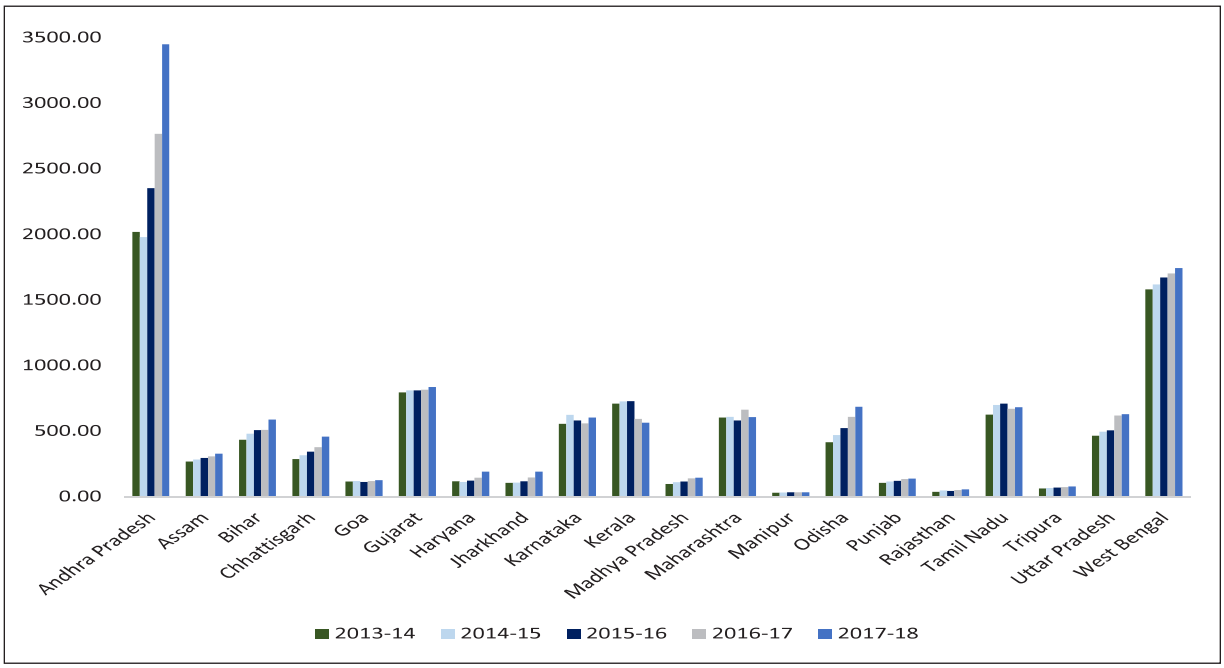

सोत: मत्स्य पालन विभाग

में संलग्न कुल व्यक्तियों की संख्या 18.54 लाख थी।

7.33 एनएसएसओ के 73वें दौर के अनुसार गैर-पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 51.11 लाख कामगारों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है और गैर-पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में यह 14.18 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाता है। 2018-19 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों का मूल्य 35.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.70 प्रतिशत है (कुल निर्यात 330.08 बिलियन अमेरिकी डालर) । 2018-19 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों के आयात का मूल्य 19.32 बिलियन अमेरिकी डालर था जो भारत के कुल आयात का 3.76 प्रतिशत है।

प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)

7.34 सरकार ने प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना की केन्द्रीय क्षेत्र की नई योजना के तहत अपनी योजना का पुनर्गठन किया है। वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए 6000/- करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना पूरे मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के साथ मजबूत आधुनिक बुनियादी ढ़ांचा तैयार करने के लिए अनुदान-आधारित सहायता प्रदान करता है। इसमें कृषि उत्पाद के अपशिष्ट को कम करने, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करने, प्रसंस्कृत खाद्य प्रदार्थों के निर्यात में बढ़ोत्तरी करने, किफायती मूल्य पर उपभोक्ताओं को स्वच्छ और पौष्टिक खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध करवाने की आशा की जाती है। इस योजना के निम्नलिखित घटक है: मेगा फुड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन/एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड कैपेसिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर, क्रिएसन ऑफ बैकवर्ड एंड फारवर्ड लिंकेजैज, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशन्स और ऑपरेशन ग्रीन प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना में 31,400 करोड़ रुपये के लिवरेज निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसमें 334 मीट्रिक टन कृषि-उत्पाद जिसका मूल्य 1,04,125 करोड़ रुपये है, का प्रचालन होगा, जिससे 20 लाख किसानों को लाभ होगा और इस स्वीकृत परियोजना के पूरा होने पर देश में 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। अब तक विभिन्न घटक योजनाओं के अधीन 701 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है जिसमें ं लगभग 12455 करोड़ रुपए का निवेश होने, लगभग 259 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों जिसकी कीमत लगभग 67,054 करोड़ रुपए हो का लेन देन होने, लगभग 46.37 लाख किसानों को लाभ होने और परियोजनाएं पूरी होने पर देश में लगभग 5.6 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है।

उर्वरक

7.35 उर्वरक विभाग द्वारा तारीख 25 मई 2015 को ''नई यूरिया पॉलिसी-2015'' (एनयूपी 2015) अधिसूचित की गई। इसका उद्देश्य स्वदेशी यूरिया का उत्पादन बढ़ाना, यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में ऊर्जा क्षमता का बढ़ावा देना और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्ति संगत बनाना है। वर्ष 2015-16 के दौरान यूरिया का उत्पादन 244.75 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था जो देश में अब तक के यूरिया उत्पादन से सबसे अधिक था (तालिका 8)। उर्वरकों का आयातों में उतार-चढ़ाव का रूझान दिखाई पड़ता है (चित्र 6)

उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली

7.36 भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 2016 से उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली प्रारंभ की गयी है। उर्वरक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के अधीन विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी फुटकर व्यापारियों द्वारा लाभार्थियों के लिए की गई वास्तविक बिक्री मूल्य के आधार पर जारी की जाती है। किसानों/क्रेताओं के लिए सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की ब्रिक्री प्रत्येक खुदरा व्यापारी शॉप में स्थापित ब्रिक्री केंद्र (पीओएस) युक्तियों के माध्यम से की जा रही है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदान पहचान पत्र इत्यादि के माध्यम से की जाएगी। उर्वरक सब्सिडी में रूझान को चित्र 7 में देखा जा सकता हे।

तालिका 8: यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन (लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
यूरिया	227.15	225.85	244.75	242.01	240.23	240.00	138.28
डीएपी	36.11	34.44	37.87	43.65	46.50	38.99	25.52
मिश्रित उर्वरक	69.13	78.32	83.01	79.66	82.57	89.98	51.42

स्रोत: उर्वरक विभाग

* अक्तूबर, 2019 तक

चित्र 6: यूरिया, डीएपी, पोटाश म्युरिएट (एमओपी) का आयात (लाख मीट्रिक टन में)

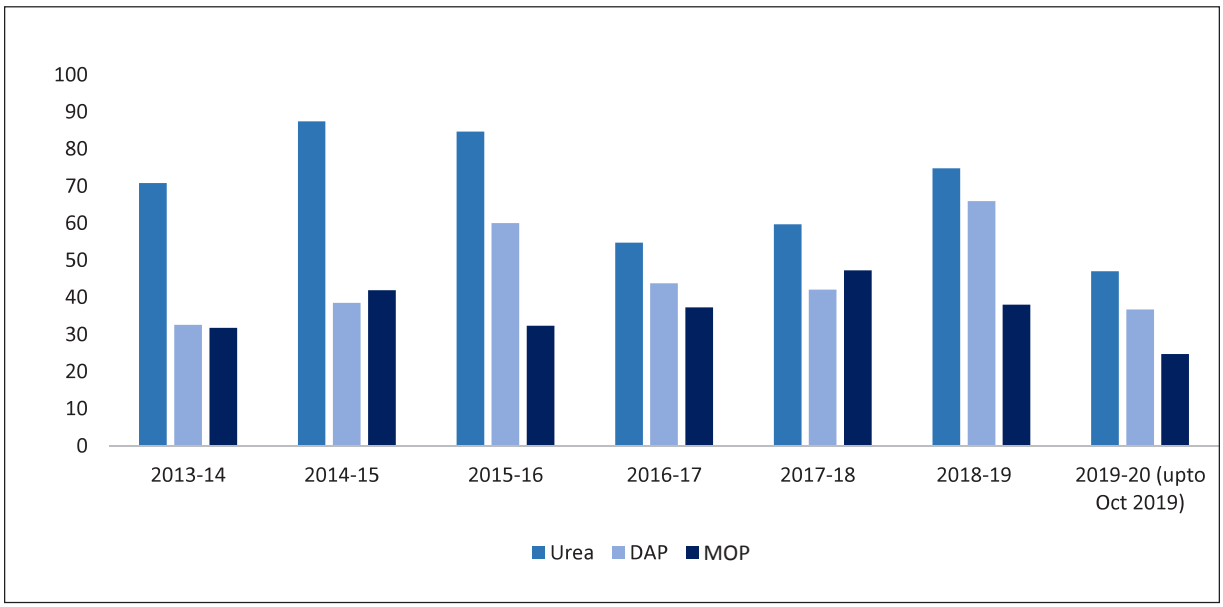

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित

खाद्य प्रबंधन

7.37 खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों से लाभकारी मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करना, उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर तबके के उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न वितरण और खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता के लिए कड़ी मात्रा में खाद्यान्न भंडार रखना है। खाद्यान्न प्राप्त करके भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) है। खाद्यान्नों का वितरण मुख्यत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अधीन है और इसे नियंत्रण आबंटन और लाभार्थियों द्वारा इसकी खरीद के मापदंड द्वारा किया अभिशासित किया जाता है।

7.38 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जुलाई 2013 से लागू है जिसमें 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को ''लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' (टीपीडीएस) के अधीन खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए शामिल करने की व्यवस्था है, ताकि देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या के प्रति कि.ग्रा. क्रमश: 1/2/3 रु. की दर से पौष्टिक-अनाज/गेहूं/चावल प्राप्त हो सके। अधिनियम को अधीन लाभार्थियों की पहचान दो वर्गों अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अधीन शामिल परिवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित सुरक्षा के अंतर्गत प्राथमिक परिवारों के अंतर्गत की जाती है। प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अन्न प्राप्त करने के हकदार हैं, और अत्योदय अन्न योजना के

चित्र 7: वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान उर्वरक सब्सिडी (करोड़ रुपए में)

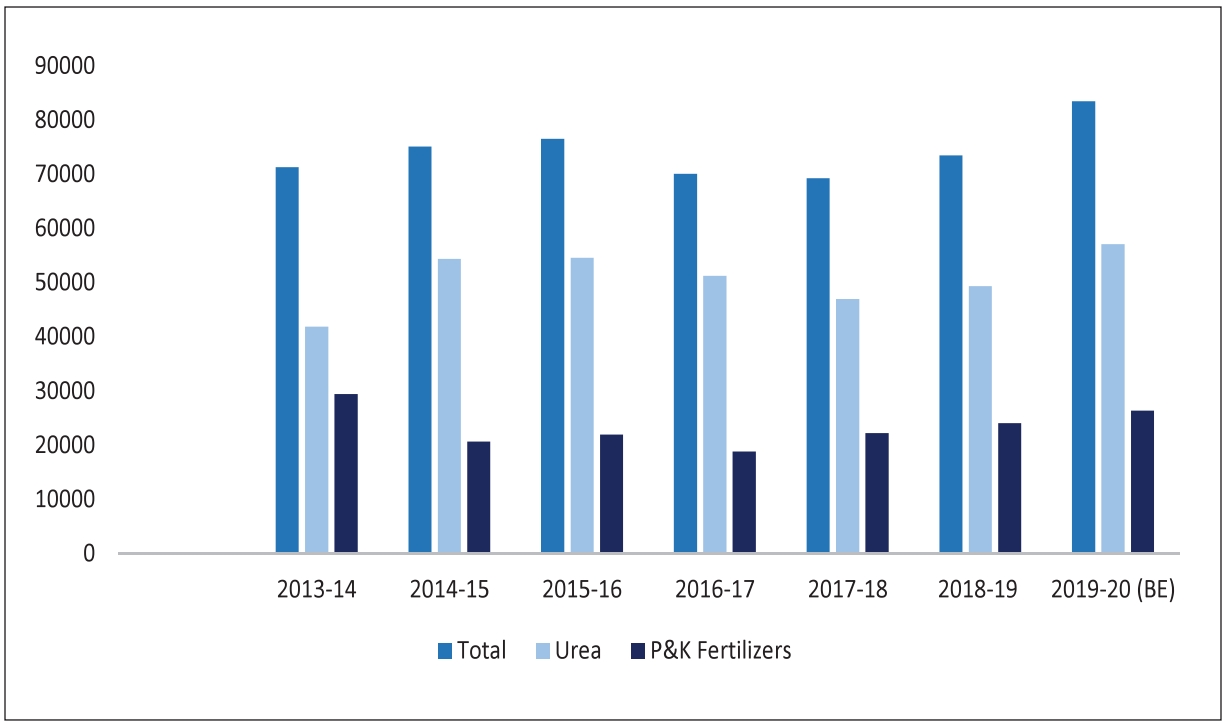

स्रोत: उर्वरक विभाग से प्राप्त आकडों पर आधारित

अंतर्गत आने वाले परिवार, जिसमें निर्धनतम लोग आते हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते रहेंगे। इस समय अत्यधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया जा रहा है जिसमें लगभग 80 करोड़ लाभार्थी है।

7.39 केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुक्त बाजार कीमतों पर निगरानी रखने के लिए और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) राज्य सरकारों को विशेष रूप से उन राज्य सरकारों को जो विकेन्द्रीकृत प्रापण करती है को गेहूं और चावल अधिकतम खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख) प्रचालनात्मक स्टॉकों से अतिरिक्त 5 मिलियन टन खाद्यान्नों की मात्रा के स्ट्रेटिजिक रिजर्व को अत्यंत जरूरी स्थितियों में प्रयोग किए जाने के लिए रखा जाना चाहिए।

(ग) गेहूं और चावल की बिक्री, मुक्त बाजार बिक्री स्कीम (ओएमएसएस) (घरेलू) के माध्यम से की जाती है ताकि खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को रोका जा सके।

(घ) एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, ई-पोओएस द्वारा आधार आधारित प्रमाणित वितरण आदि जन वितरण प्रणाली में सुधार के अच्छे उदाहरण हैं।

केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों को स्टॉक करने संबंधी मानक:

7.40 भारत सरकार ने बफर संबंधी मानकों को जनवरी, 2015 से संशोधित कर दिया गया है और बफर संबंधीमानकों का नाम बदलकर ''खाद्यान्न स्टॉकिंग संबंधी मानक'' कर दिया गया है जिससे कि खाद्य सुरक्षा के लिए विहित न्यूनतम स्टॉक संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके। स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति के लिए खाद्यान्नों को मासिक रूप से जारी करना सुनिश्चित किए जा सके, अप्रत्याशित रूप से फसल नष्ट होने से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटा जा सके और आपूर्ति संवर्धन के लिए बाजारी हस्तक्षेप के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक का प्रयोग किया जा सके और इस प्रकार से मुक्त बाजार कीमतों को सन्तुलित करने में मदद की जा सके। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों

बॉक्स-4: एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

खाद्य एवं लोक वितरण विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से 2018-19 और 2019-20 के दौरान ''लोक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन'' नाम से एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नया राशन कार्ड प्राप्त करने की जरूरत के बिना देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से उनके खाद्यान्नों की पात्रता बढ़ाने हेतु 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली के माध्यम से एनएफएसए के तहत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्र व्यापी पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करना है। इस व्यवस्था से विभिन्न प्रवासी लाभार्थियों, जो कि देश में काम/रोजगार की तलाश में अथवा अन्य कारणों से देश में अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं, को लाभ पहुंचता है तथा अंतत अपने निवास स्थान से प्रवास के कारण एनएफएसए के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के कोटे से वंचित रह जाते हैं। इस व्यवस्था से प्रवासी लाभार्थियों को अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफपीएस पर बिक्री (ईपीओएस) उपकरणों इलैक्ट्रानिक बिंदु पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के पश्चात् उनके उसी/वर्तमान राशन कार्ड का प्रयोग करते हुए उनके विकल्प/सुविधा के अनुसार किसी भी एफसीएस से उनकी खाद्य सुरक्षा अधिकार को प्रापत किया जा सकेगा।

वर्तमान में 2.24 के चार समूहों में 8 निकटवर्ती राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान तथा कर्नाटक और केरल राज्यों में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा को समर्थ बनाया गया है। आगे यह भी उल्लिखित है कि सभी चार समूहों, जैसा कि ऊपर दिया गया है, तथा कुछ अन्य राज्यों जिनमें अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी पहले ही कार्यान्वित है, को एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर समेकित किया जाएगा। तत्पश्चात् जब कभी सभी राशन कार्डों, एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के राष्ट्रीय डी-डुप्लीकेशन का कार्य पूरा हो तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक/आधार प्रमागन आधारित वितरण को कार्यान्वित किया गया है।

का स्टॉक करने के संबंधी मानक चित्र 8 में दिए गए हैं जिनमें 50 लाख मीट्रिक टन का रणनीतिक रिजर्व भी शामिल है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन

7.41 सभी राज्यों/संघ में एवं एफएसए का कार्यान्वयन किया गया है। चंड़ीगढ़, पुदूचेरी और दादरा एवं नागर हवेली के शहरी क्षेत्रों में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नकदी अंतरण स्वरूप में लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न सब्सिडी (आर्थिक मदद) को लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया जा रहा है, जो जिसके बाद उनके पास खाद्यान्नों को मुक्त बाजार से खरीदने का विकल्प होता है। वर्ष 2019-20 में, 31 दिसम्बर 2019 तक, भारत सरकार ने अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत 603.88 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया है। (तालिका 9)।

चित्र 8: जनवरी, 2015 से केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाकिंग मानक (मिलियन टन में)

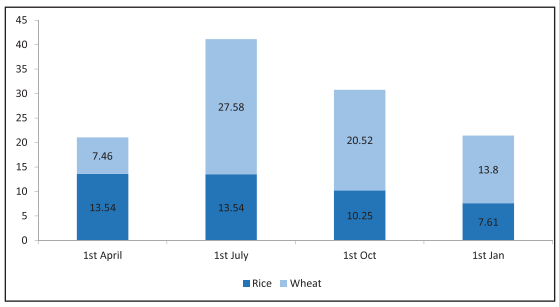

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी)

7.42 भारत सरकार, राज्य के भीतर खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर किए गए और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के लाभांशों पर गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान (दिनांक 31.12.2019 तक) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 1433.25 करोड़ रुपये की राशि की गई है।

(i) खरीफ विपणन सत्र (के एम एस) 2018-19 के दौरान 448.00 एल एम टी के अनुमानित लक्ष्य की अपेक्षा 443.99 में लाख मीट्रिक टन (एल एम टी) चावल का प्रापण किया गया। आगामी खरीफ

तालिका 9: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आबंटन

श्रेणी	मात्रा (लाख टन में)
एनएफएसए (आईसीडीएस एवं एमडीएम सहित)	596.63
उत्सव, प्राकृतिक आपदा आदि	2.14
अन्य कल्याणकारी योजनाएं	5.11
कुल	**603.88**

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

सत्र 2019-20 के दौरान 31.12.2019 को 256.10 लाख मीट्रिक टन धान का प्रापण किया गया।

(ii) रबी विपणन सत्र (आर एम एस) 2019-2020 के दौरान, 341.33 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का प्रापण किया गया जबकि आर एम एस 2018-19 के दौरान 357.95 मीट्रिक टन का प्रापण किया गया था।

(iii) खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के दौरान, 3,49,250 मीट्रिक टन मोटे अनाज के प्रापण का अनुमोदन किया गया।

7.43 विगत पांच वर्षों के दौरान मोटे अनाज के प्रापण का विवरण चित्र 9 में किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन, प्रापण, खुल-खरीद और स्टाक तालिका 10 में प्रस्तुत किया गया है।

एफसीआई को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

7.44 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में तीन घटक शामिल होते हैं, अर्थात खाद्यान्नों की सामूहिक लागत, प्राप्त संबंधी आनुषांगिक खर्चे और वितरण संबंधी लागत। खाद्यान्नों की सामूहिक लागत वह लागत है जो आर्थिक लागत के परिकलन के समय एफसीआई के पास उपलब्ध खाद्यान्न स्टाक के भारित एमएसपी के रूप में होती है। एमएसपी मूल्यों में वृद्धि और आनुषांगिक खर्चों में आनुपातिक वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में काफी बढ़ोतरी हुई (चित्र 10)।

7.45 गेहूं के संबंध में वास्तविक आर्थिक लागत के निर्धारक तत्वों की जांच से पता चलता है कि एमएसपी स्टॉक प्रबंधन प्रभार और अनाज का औसत स्टॉक इस विषय में महत्वपूर्ण कारक हैं। वास्तविक एमएसपी में एक यूनिट की वृद्धि से वास्तविक आर्थिक लागत में 0.48 यूनिट की वृद्धि होती है और इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

खाद्य सब्सिडी

7.46 खाद्य सब्सिडी के अंतर्गत (i) एफसीआई को एनएफ एसए और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के अधीन गेहूं और चावल प्रापण एवं वितरण के लिए तथा

चित्र 9: विगत पांच वर्षों के दौरान मोटे अनाज (अनाज-वार) का प्रापण (एम टी)

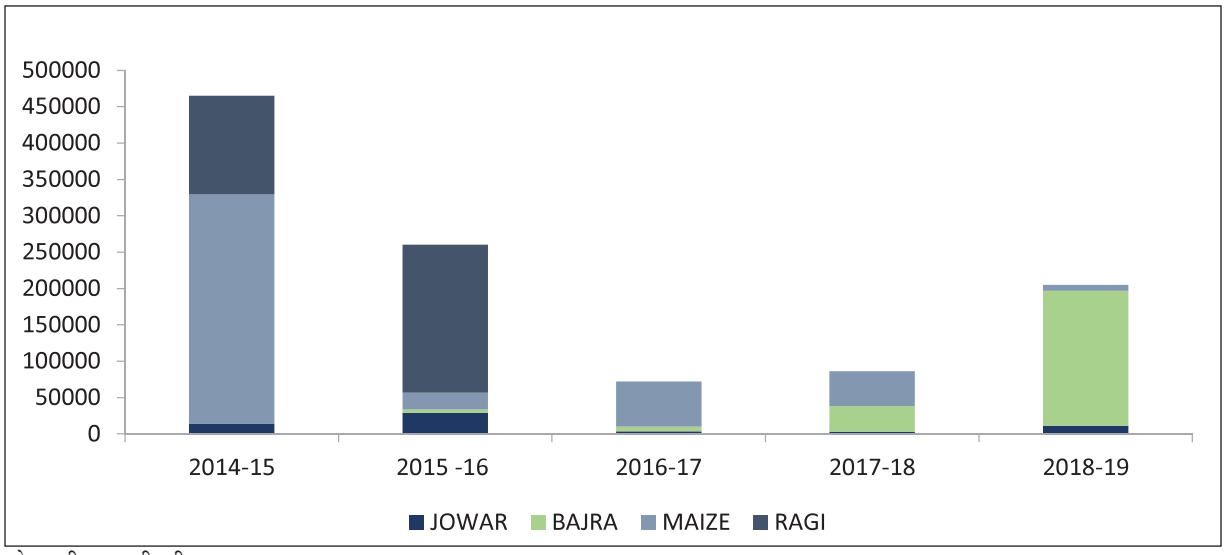

स्रोत: डी एफ पी डी

तालिका 10: खाद्यान्न उत्पादन, प्रापण कुल-खरीद और स्टॉक (मिलियन टन)

वर्ष	दालों को छोड़कर खाद्यान्नों का उत्पादन	खाद्यान्न प्रापण	उत्पादन का प्र. तिशत के तौर पर प्रापण	कुल खरीद (टी वी डी एस/एन एफ एस ए + कल्याण योजना)	प्रथम जुलाई को शेष स्टॉक
2015-16	235.22	64.91	27.6	53.73	54.72
2016-17	251.98	61.14	24.3	56.58	49.85
2017-18	259.60	69.10	26.6	57.85	53.48
2018-19	261.55*	80.40	30.7	56.40	65.14
2019-20	132.35**	60.06@	45.38@	42.82#	74.40

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि और किसान विकास मंत्रालय, खाद्यान्न बुलेटिन डीएफपीडी।
* चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार। ** केवल प्रथम खरीफ अग्रिम अनुमान।
@ 31 दिसंबर, 2019 को # दिसंबर, 2019 तक खरीद (आफटेक)

चित्र 10: एफसीआई का खाद्य पदार्थों का आर्थिक मूल्य (₹ क्विंटल में)

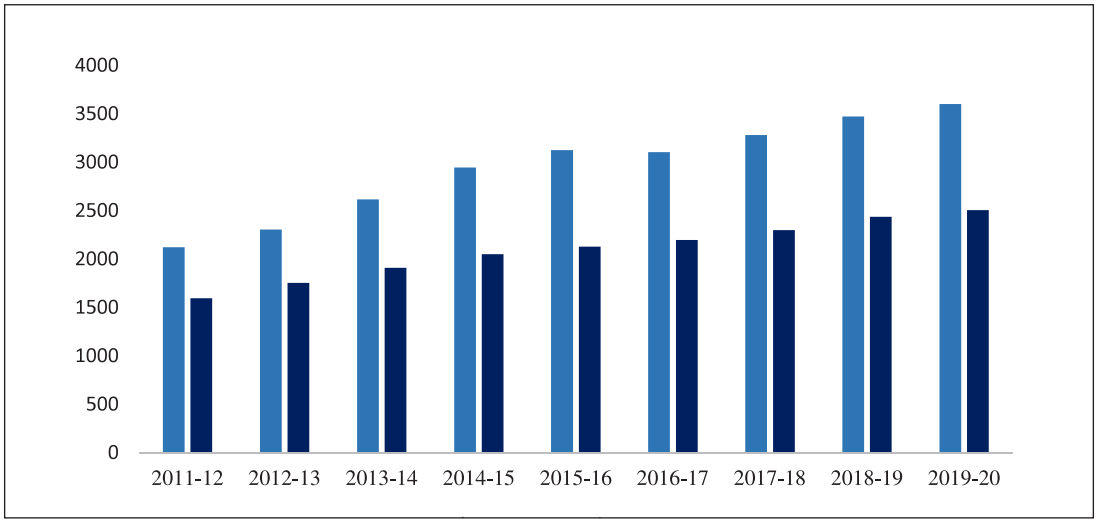

स्रोत: एफसीआई वार्षिक योजना, 2019.20
* Weighted average of common and Grade-A Rice taken together. @ Data from 2014-15 to 2017-18 indicates cost under National Food Security Act (NFSA).

खाद्यान्नों का स्ट्रेटिजिक भंडार बनाए रखने के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और (ii) राज्यों को विकेंद्रीकृत प्रापण शुरू करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों के अधिग्रहण एवं वितरण को मिलाकर आर्थिक लागत तय की जाती है। प्रति क्विंटल आर्थिक लागत और प्रति क्विंटल केंद्रीय जारी मूल्य (सीआईपी) के बीच के अंतर से खाद्य सब्सिडी की मात्रा निकाली जाती है। हालांकि आर्थिक लागत में वृद्धि हुई है, एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों के लिए सीआईपी (केंद्रीय निर्गम मूल्य) को गेहूं के मामले में प्रति क्विंटल 200 रु./ और चावल के मामले में प्रति क्विंटल 300 रु./ से संशोधित नहीं किया गया है। अधि नियम के तहत इन दरों का निर्धारण, अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख (जुलाई 13, 2013) से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा इसके बाद समय-समय पर इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक न रखते हुए, किया जाएगा। तथापि वर्ष 2013 से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच अंतर और बढ़ गया तथा सरकार द्वारा वहन की जा रही सब्सिडी में इतने वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं। (चित्र-11)

7.47 खाद्य सब्सिडी को अधिक व्यापक बनाने के कई कारण रहे हैं। यद्यपि एनएफएसए ने एक ओर पूर्व के टीपीडीएस से अधिक व्यापक कवरेज देते हुए अंत्योदय सीआईपी को सभी एनएफएसए लाभार्थियों पर समान रूप से लागू भी किया है। इसके अतिरिक्त, एनएफएसए के अधीन एपीएल/बीपीएल श्रेणीकरण भी समाप्त कर दिया गया। अधिनियम के तहत कवरेज को भी गरीबी अनुमानों से अलग कर दिया गया क्योंकि यह सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया था कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को भी उसका लाभ मिले। इसके तहत जहां एएवाई श्रेणी बनी रहेगी, वहीं यह अधिनियम शेष लाभार्थियों को प्राथमिक परिवार के रूप में शामिल करता है। अधिनियम के तहत निम्न सीआईपी के साथ उपलब्ध कराए गए व्यापक कवरेज से खाद्य सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही निर्धारित मानकों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न स्टॉक तैयार करने, आर्थिक लागत और वास्तविक एमएसपी में वृद्धि और एपीएल परिवारों के लिए औसत केंद्रीय जारी मूल्य में कमी के कारण बिक्री की वसूली में कमी से खाद्य सब्सिडी में वृद्धि हुई है।

7.48 जहां जनसंख्या/आबादी के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है, वहीं एनएफएसए के तहत सीआईपी बढ़ाने के आर्थिक तर्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा संचालन की निरंतरता हेतु खाद्य सब्सिडी बिल के बढ़ते हुए स्तर का मुद्दा सुलझाने की आवश्यकता है।

भंडारण

7.49 केंद्रीय पूल से लिए गए खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता, केंद्रीय वेयरहाउसिंग निगम (सीडब्ल्यूसी) और वेयरहाउसिंग नियम (एसडब्ल्यूसी) के पास उपलब्ध वेयरहाउसिंग क्षमता के हिस्से और निजी क्षेत्र से धन के एवज में लिए गए स्थान का उपयोग किया जाता है। दिनांक 30.11.2019 तक की स्थिति के अनुसार

चित्र 11: जारी (रिलीज) की गई खाद्य सब्सिडी और इसमें वार्षिक बढ़ोतरी

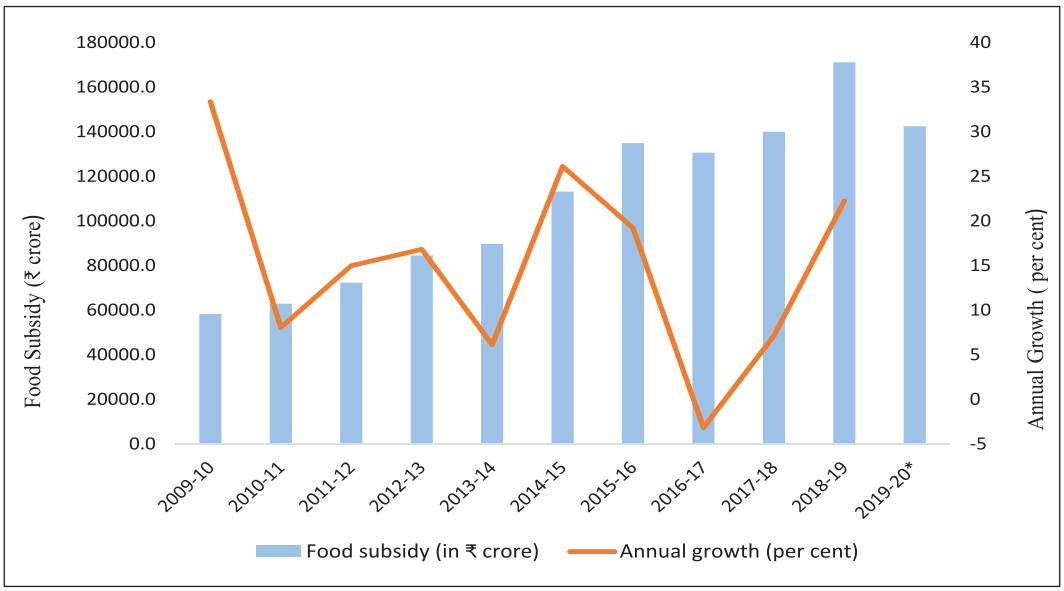

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

* 30.12.2019 को स्थिति

नोट I: वित्त वर्ष 2016-17 में जारी की गई खाद्य सब्सिडी 130672.96 करोड़ रुपए थी जिसमें भारतीय खाद्य निगम को दिया गया 25,000 करोड़ रुपए का एनएसएसएफ ऋण भी शामिल था।

नोट II: वित्त वर्ष 2017-18 में जारी की गई कुल खाद्य सब्सिडी 139981.69 करोड़ रुपए थी जिसमें भारतीय खाद्य निगम को दिया गया 40000 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था।

नोट III: वित्त वर्ष 2018-19 में जारी की गई कुल खाद्य सब्सिडी 171127.49 करोड़ थी जिसमें भारतीय खाद्य निगम को दिया गया 70,000 करोड़ रुपए का ऋण शामिल था।

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल क्षमता 750 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) थी, जिसमें 617.60 एलएमटी के कवर किए गए गोदाम और 132. 40 एलएमटी की कवर और प्लिंथ (सीएपी) सुविधाएं शामिल हैं। 750.00 एलएमटी की कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता में से 401.87 एलएमटी, भारतीय खाद्य निगम के पास थी और 348.38 एलएमटी, राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध थी। केंद्रीय पूल में दिनांक 01.12.2019 को चावल और गेहूं का भंडार 564.54 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) था।

7.50 निजी उद्यमी गारंटी स्कीम (पीईजी): विद्यमान भंडारण क्षमता में तेजी लाने हेतु निजी क्षेत्र के साथ-साथ सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी के माध्यम से निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के तहत 22 राज्यों में गोदामों के निर्माण का कार्य पीपीपी मोड में शुरू किया गया है। दिनांक 30.11.2019 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 143.53 एलएमटी की क्षमता का निर्माण किया गया।

7.51 सेंट्रल सेक्टर स्कीम (पूर्ववर्ती योजनागत स्कीम): यह योजना कुछ अन्य राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जाती है। भारत सरकार द्वारा एफसीआई के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी गोदामों के निर्माण के लिए वार्षिक बजटीय आबंटन में से निधियां जारी की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान एफसीआई तथा राज्य सरकारों ने 1,84,175 एमटी की कुल क्षमता का निर्माण पूर्ण किया। इस योजना को दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 21.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है। एफसीआई तथा राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.11.2019 तक 49,425 का क्षमता-निर्माण किया गया।

7.52 स्टील साइलो (भूमिगत कक्ष/खत्ती) का निर्माण: भारत सरकार ने सरकारी निजी कंपनी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा भंडारित खाद्यान्नों की सामग्री के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि में वृद्धि करने के लिए 100 एलएमटी की क्षमता के लिए देश में स्टील साइलो (भूमिगत कक्ष/खत्ती) के निर्माण की कार्य-योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 30.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार साइलो की 7.25 एलएमटी कुल क्षमता का ही निर्माण पूरा हुआ।

7.53 ऑनलाइन डिपो मैंनेजमेंट सिस्टम (ओडीएमएस): एफसीआई, डिपो में खाद्यान्न की प्राप्ति, भंडारण, रख रखाव गतिविधियों और खाद्यान्न को जारी करने सहित डिपो ऑपरेशंस की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए ऑनलाइन डिपो मैंनेजमेंट सिस्टम (ओडीएमएस) को लागू कर रहा है, जिसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इनवेंटरी मैंनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, वेटब्रिज इंटीग्रेशन, स्टोरेज और ट्रांजिट लॉस मैंनेजमेंट, गनी इन्वेंट्री मैंनेजमेंट, आदि के लिए इनबिल्ट मॉड्यूल हैं। इससे डिपों स्तर पर लागतों के इष्टतमीकरण और एफसीआई की कार्यात्मक दक्षता में सुधार करने और किसी भी प्रकार की खराबी/चूक का आसानी से पता लगाने/रोकने में मदद मिलती है। दिनांक 30.12.2019 की स्थिति के अनुसार डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस), एफसीआई के 533 डिपो में क्रियाशील है। जबकि केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के मामले में, एफसीआई द्वारा किराये पर में एफसीआई द्वारा किराये पर लिए गए सीडब्ल्यूसी के सभी 144 डिपों में डीओएस संस्थापित है। सीडब्ल्यूसी ने किराए पर लिए 12 डिपो को अब छोड़ दिया गया है। सभी 380 गोदामों पर अपने स्वयं की गोदाम प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) रोल-आउट को भी पूरा कर लिया है जिसे डीओएस के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है।

भावी परिदृश्य

7.54 किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की कुछ मूलभूत चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। कृषि में निवेश, जल संरक्षण, बेहतर कृषि पद्धतियों के जरिए पैदावार में वृद्धि, बाजार तक पहुंच, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाना आदि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र पशुपालन, डेरी-उद्योग और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए नियोजन का आश्वस्त गौण स्त्रोत उपलब्ध कराने के लिए बढ़ावा दिए जाने आवश्यकता है। कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के लिए बाजार का अतिरिक्त स्त्रोत

निर्मित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की व्याप्ति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

7.55 चूंकि छोटे और सीमांत जोतों का अनुपात काफी अधिक है, भूमि बाजार मुक्त करने जैसे भूमि सुधार उपाय भूमि किसानों की आय में सुधार लाने में सहायता कर सकते हैं। चूंकि खेती के मशीनीकरण की मात्रा ब्राजील और चीन जैसे अन्य प्रमुख विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए भारत के छोटी जोतो का मशीनीकरण का उचित उपयोग के माध्यम से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभावी जल संरक्षण तंत्र को सुनिश्चित कर सिंचाई सुविधा की सीमा में विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में विषमता के मुद्दे का समाधान लिए इसके प्रावधान का समावेशी दृषिकोण प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

7.56 जबकि उत्पादकता और इसके विपणन में सुधार के लिए अभिप्रेत सरकारी उपाय अमल में हैं, प्रत्यक्ष आय/निवेश समर्थन की बेहतर सीमा के साथ किसानों के प्रयास की कमी पूरी किए जाने की आवश्यकता है। भारत में वर्तमान में मौजूद कृषि उपज के अधिशेष के लिए बाजार का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने के लिए कृषि संबंधी वस्तुओं हेतु वैश्विक बाजार का पता लगाने पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

7.57 अन्य क्षेत्रों में श्रम संसाधन पुन: निर्दिष्ट करने की भी आवश्यकता है। यद्यपि, संरचनात्मक परिवर्तन में कृषि क्षेत्र की नौकरियों की कम होती हिस्सेदारी और सेवा क्षेत्र की नौकरियों की बढ़ती हिस्सेदारी सम्मिलित है, तो अधिक संख्या में कामगारों को आमेलित करने के लिए विनिर्माण संबंधी नौकरियां सृजित किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

7.58 प्राय: एफ. सी. आई. स्टॉक्स बफर मानदंड से परे हैं, जिसका समय से समाधान किए जाने की आवश्यकता है। गरीबों की संख्या अधिक होने के कारण, खाद्य सुरक्षा बरकरार रखना अब भी एक चुनौती है। प्रारम्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए एन.एफ. एस.ए. के तहत निर्धारित दरों में 2013 से संशोधन नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य सब्सिडी में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इनकी दरों और विस्तार क्षेत्र में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय पर एक नज़र

- रोजगार के अवसरों के लिए कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय आबादी की निर्भरता का अनुपात भारत में अन्य किसी क्षेत्र के अनुपात से अधिक है।
- गैर-कृषि क्षेत्रों के अपेक्षाकृत उच्च विकास क्रिया निष्पादन जो विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है के कारण देश के कुल जी.वी.ए. में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र से वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों पर जीवीए में 2.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।
- कृषि मशीनीकरण भारतीय कृषि को निर्वाह कृषि से वाणिज्यिक कृषि में परिवर्तन करने में सहायक होता है। भारत में समग्र कृषि मशीनीकरण लगभग 40 प्रतिशत है, जो चीन (59.5 प्रतिशत) और ब्राजील (75 प्रतिशत) की तुलना में कम है।
- भारत में कृषि ऋण का क्षेत्रीय वितरण एक अत्यधिक विषम पैटर्न दर्शाता है। यह देखा गया है कि उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में ऋण कम है। कुल कृषि संवितरण मे उत्तर पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से कम हो चुकी है।
- पशुधन आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण गौण स्त्रोत बन चुकी है और जो किसानों की आय का दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अंतिम पांच वर्षों के दौरान पशुधन उद्योग क्षेत्र में 7.9 प्रतिशत की सी.ए.जी.आर. वृद्धि हुई है।

- 2017-18 की समाप्ति पर अंतिम 6 वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में लगभग 5.06 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर (ए.ए.जी.आर.) रही है। इस क्षेत्र में 2011-12 की कीमतों पर क्रमशः 2017-18 में विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में 8.83 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत जी.वी.ए. शामिल है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जुलाई 2013 के लागू होने के बाद से खाद्य सब्सिडी बिल 2014-15 के ₹ 113171.2 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 171127.5 करोड़ पहुंच गयी है। जबकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों (समाज के) के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए, खाद्य सुरक्षा कार्य में स्थिरता लाने के लिए, खाद्य सब्सिडी बिल में तेजी से वृद्धि के मुद्दे पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दरों और व्यापकता में सुधार किया जाना चाहिए।